Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
27/4/21	~~कोरोना कोविड़ 19 के दूसरी लहर को दृष्टिगत रखते~~ हुए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना के विविध आदेश क्रमांक 1646/लेखा अनु./2021 दिनांक 20.04.2021 के पालन में अतिआवश्यक कार्य संपादन हेतु आज दिनांक को नामित होने से प्रकरण मेरे समक्ष पेश। राज्य द्वारा एडीपीओ व्ही.सी. के माध्यम से उप0। आवेदक संतोष शर्मा की ओर से अधिवक्ता श्री पी.एस. तोमर व्ही.सी. के माध्यम से उपस्थित। प्रकरण थाना से केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्ति एवं आवेदन पत्र धारा 451/457 द.प्र.सं. पर तर्क हेतु नियत है। थाना पोरसा से अपराध क्रमाक–197/2021 धारा 4–क पब्लिक गेम्बलिंग एक्ट की केस डायरी सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त। आवेदन पत्र पर उभयपक्ष को व्ही.सी. के माध्यम् से सुना गया। आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी मारूति स्विफ्ट कार जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम.पी.07/सी.एफ. 8748 एवं विवो कम्पनी का मोबाइल नंबर 9826290286 एवं दूसरा मोबाइल विवो कम्पनी का जिसका नंबर 8761728305 एक मात्र पंजीकृत स्वामी होकर आधिपत्यधारी है। पुलिस पोरसा द्वारा प्रार्थी को रोका और शीट बेल्ट लगाने के लिये कहा गया तब प्रार्थी ने शीट बेल्ट लगा लिया तभी दरोगा जी आ गये और गाली गलौच करने लगे जब प्रार्थी ने गाली देने से मना किया तो दरोगाजी ने उसकी गाड़ी छीन ली और उसकी जेब से उसका मोबाइल ले लिया और केस में बन्द कर दिया और थोडी देर बाद उसे जमानत पर छोड दिया और गाडी और मोबाइल कोर्ट से छुड़ाने के लिए बोल दिया। प्रार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर उक्त कार एवं मोबाइलों को सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया गया। आवेदक की ओर से स्विफ्ट कार क्रमांक एम.पी.07/सी.एफ.8748 का रजिस्ट्रेशन, बीमा की छायाप्रति एवं विवो कम्पनी के मोबाइलों के बिल की छायाप्रति पेश की एवं असल दस्तोवज अवलोकन हेतु प्रस्तुत किये गये है। आवेदक की पहचान अधिवक्ता श्री पी.एस. तोमर द्वारा की गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक के विरूद्ध थाना पोरसा के अपराध क्रमांक 197/2021 धारा 4–क पब्लिक गेंम्बलिंग एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध है। संलग्न जप्ती पत्रक के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक/ आरोपी के कब्जे से विवो कम्पनी का मोबाइल जिसका आई.एम.ई.आई.	

Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . .of 20 . . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	नंबर–1 868409049057924 एव आई.एम.ई.आई.–2 868409049057916, 1510/– रूपये नगद तथा मारूति कम्पनी की सफेद स्विफ्ट कार जिसका नंबर एम.पी.07/सी.एफ.8748 को बजह सबूत जप्त किया गया है। जप्ती पत्रक का इस आशय का नोट भी अंकित किया गया है कि जप्त मोबाइल में लिंक खोलकर आई.डी. चैक किया गया तो उसमें आठ लाख नब्बे हजार रूपये का लेनदेन होना पाया गया जिसके फोटोग्राफ निकाले गये। एक अन्य मोबाइल जो कि रिंकू शर्मा पुत्र मुरली शर्मा के कब्जे से जप्ती पत्रक के अनुसार जप्त करना बताया गया है जो विवो कम्पनी का है जिसका आई.एम. ई.आई.1–863960049168934, आई.एम.ई.आई. 2–863960049168926 जप्त करना बताया गया है। जप्ती पत्रक के अनुसार उक्त मोबाइल में विभिन्न वाट्सएप नंबरों पर सट्टा नंबर लिखकर लेखा जोखा होना पाया गया है। आरक्षी केन्द्र पोरसा की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार जप्तशुदा दोनों मोबाइलों में आई.पी.एल. मैच मुम्बई व पंजाब किग्स के मैच का सट्टा लगाया जाना बताया गया है एवं जप्तशुदा मोबाइलों के माध्यम से वाट्सएप के माध्यम से एवं अन्य लिंक के माध्यम से सट्टे का हिसाब किताब और रूपयों का लेनदेन होना पाया गया है एवं उक्त दोनों मोबाइलों को वजह सबूत होना बताया गया है और मोबाइल सुपुर्दगी पर दिये जाने से साक्ष्य खुदबुर्द किये जाने की संभावना व्यक्त की गई है। अभियोजन मामले के अनुसार आवेदक/आरोपी से एक विवो कम्पनी का मोबाइल एवं एक अन्य मोबाइल आरोपी रिंकू शर्मा के कब्जे से जप्त होना बताया गया है एवं उक्त दोनों मोबाइलों के माध्यम से आई.पी.एल. मैच के सट्टे लगाया जाना बताया गया है एवं सट्टे से संबंधित साक्ष्य मोबाइल में होना बताई गई है एवं वजह सबूत मोबाइल जप्त किया जाना बताया गया है। जप्तशुदा मोबाइल से सट्टे का लेनदेन किया जाकर साक्ष्य की विषयवस्तु होना दर्शित है यदि उक्त दोनों मोबाइल सुपुर्दगी पर दिये जाते है तो निश्चित ही उक्त मोबाइलों में मौजूद साक्ष्य नष्ट कर दी जावेंगी ऐसी स्थिति में उपरोक्त दोनों जप्तशुदा मोबाइल को सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। जहां तक जप्तशुदा मारूति स्विफ्ट कार क्रमांक एम.पी. 07/सी.एफ.8748 का प्रश्न है इस संबंध में आवेदक की ओर	

से जप्तशुदा वाहन के असल दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत किये गये है। वाहन कमांक एम.पी.07/सी.एफ.8748 का रजिस्ट्रेशन, बीमा के अवलोकन से आवेदन संतोष शर्मा पुत्र रामगोविंद शर्मा उक्त जप्तशुदा वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी होना दर्शित है। आवेदक की ओर से वाहन का रजिस्ट्रेशन ,बीमा अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन से आवेदक जप्तशुदा वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी होना दर्शित है। आवेदक की ओर से उक्त वाहन का बीमा प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन से उक्त वाहन दिनांक 15.10.2018 से दिनांक 14.10.2021 तक बीमित होना दर्शित है। जप्तशुदा वाहन अपराध की विषय वस्तु नहीं है और ना ही साक्ष्य की विषय वस्तु है। यदि वाहन को थाने में ज्यादा समय तक रखा गया तो उसमें खराबी होने की संभावना से भी इनकार नही किया जा सकता। अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अशंतः इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि यदि आवेदक की ओर से 8,00,000/–(आठ लाख रूपये) की राशि का स्वयं का सुपुर्दगीनामा विधिवत प्रस्तुत किया जावे तो जप्तशुदा वाहन मारूति स्विफ्ट कार एम.पी.07/सी.एफ.8748 को रजिस्टर्ड वाहन स्वामी को निम्न शर्तो पर सुपुर्दगी पर दिया जावे।

1. वाहन स्वामी वाहन को सुपुर्दगी पर लेने के पश्चात अन्य कहीं विक्रय या अंतरित नही करेगा।
2. वाहन को खुर्द बुर्द, रंगरोगन नही करेगा।
3. आवश्यकता होने पर स्वयं के व्यय पर प्रस्तुत करेगा।

रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्रायविंग लायसेंस की प्रतिलिपि प्रकरण में संलग्न की जावे।

असल दस्तावेज अवलोकन पश्चात् संबंधित को वापस किये जावें।

प्रपत्र संबंधित न्यायालय की ओर भेजे जावें।

प्रपत्र अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर उनके साथ संलग्न किये जावें।

27.4.2021

व्ही.पी.एस. चौहान
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
अंबाह जिला–मुरैना म0प्र0

पुनश्चः–

आदेश के पालन में आवेदक संतोष शर्मा की ओर से 8,00,000/–(आठ लाख रूपये) का सुपुर्दगीनामा पेश किया गया।

Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . .of 20 . . . . .

Date of Order or roceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	सुपुर्दगीदार की पहचान अधिवक्ता श्री पी.एस. तोमर द्व ारा की गई एवं आवेदन द्वारा अपनी पहचान के रूप में आधार कार्ड की छायाप्रति पेश की जिसका नंबर 944122864817 है। सुपुर्दगीनामा बाद जांच तश्दीक स्वीकृत। वाहन का रिलीज आदेश संबंधित थाना की ओर जारी किया जावे। प्रपत्र अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर उनके साथ संलग्न किये जावें। 27.4.2021 व्ही.पी.एस. चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबाह जिला–मुरैना म0प्र0	